भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1958

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दवाओं और औषधियों की अत्यधिक कीमतें

†1958. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवाओं और औषधियों की कीमतों को विनियामक प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु प्रभार निर्धारित करने के लिए दवा विनिर्माण इकाइयों को बाध्य करने की कोई प्रणाली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विदेशों से आयातित दवाओं के संबंध में मूल्य संरचना उपलब्ध है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न स्तरों पर मेडिकल स्टोरों द्वारा ग्राहकों से वसूला जाने वाला विक्रय मूल्य इसकी विनिर्माण लागत और कमीशन से बहुत अधिक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड) क्या सरकार ने मेडिकल स्टोरों द्वारा ग्राहकों की इस लूट को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): रसायन और उर्वरक मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, औषध विभाग (डीओपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के प्रावधानों के अनुसार दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध अनुसूचित योगों की अधिकतम कीमत तय करता है।

अनुसूचित दवाओं के सभी निर्माताओं को अपने उत्पाद एनपीपीए द्वारा तय की गई अधिकतम कीमत (साथ ही लागू माल एवं सेवा कर) के भीतर बेचने होते हैं।

इसके अलावा, अनुसूची-I में शामिल न किए गए फॉर्मूलेशन को डीपीसीओ, 2013 के पैरा 2(1)(v) के तहत गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के रूप में परिभाषित किया गया है। डीपीसीओ, 2013 के अनुसार गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन का कोई भी निर्माता पिछले 12 महीनों के दौरान ऐसे फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य(एमआरपी) के 10% से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता है। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं के लिए डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कीमतों में अधिकतम स्वीकार्य वृद्धि उनके संबंधित निर्माताओं द्वारा वाणिज्यिक विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर की जा सकती है या नहीं भी की जा सकती है।

एनपीपीए अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मौजूदा निर्माताओं के लिए डीपीसीओ, 2013 में परिभाषित नई दवा का खुदरा मूल्य भी तय करता है। अधिसूचित खुदरा मूल्य केवल आवेदक विनिर्माण/विपणन कंपनियों पर लागू होते हैं। निर्माताओं को एनपीपीए द्वारा तय खुदरा कीमतों के भीतर फॉर्मूलेशन का विक्रय करना होगा। एनपीपीए द्वारा तय की गई कीमतों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग): डीपीसीओ, 2013 के प्रावधान घरेलू स्तर पर उत्पादित और आयातित दोनों प्रकार के फार्मूलों चाहे वे ब्रांडेड हों या जेनेरिक, पर समान रूप से लागू होते हैं।

(घ): अनुसूचित फॉर्मूलेशन का अधिकतम मूल्य और नई दवाओं का खुदरा मूल्य, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, बाजार आधारित आंकड़ों के अनुसार और खुदरा विक्रेता को औसत मूल्य में निर्धारित मार्जिन जोड़कर तय किया जाता है। विनिर्माण लागत और कमीशन के आधार पर मूल्य निर्धारण डीपीसीओ, 2013 के दायरे में नहीं है।

(ङ): एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के तहत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों की निगरानी करता है। डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी उपभोक्ता को मौजूदा मूल्य सूची में निर्दिष्ट मूल्य या कंटेनर या पैक के लेबल पर दर्शाए गए मूल्य जो भी कम हो, से अधिक कीमत पर कोई भी फॉर्मूलेशन नहीं बेचेगा, जब भी कोई कंपनी स्वीकार्य मूल्य से अधिक कीमत पर फॉर्मूलेशन बेचती पाई जाती है, तो डीपीसीओ, 2013 के संगत प्रावधानों के तहत ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और डीपीसीओ, 2013 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कंपनी से अधिक कीमत वसूली जाती है।

****